न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 109/2012 (75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (R.C.M.S . no 201200030)
सुक्खी पुत्र रनछोड जाति जाट निवासी ग्राम ताखा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर ।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. निरोत्तम
2. श्यामवीर
3. लक्ष्मन
4. प्रतापसिंह

पिसरान पदमोला जाति जाट निवासीयान ग्राम ताखा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर (राज0)

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर दिनांक 16.8.2011 प्रार्थना पत्र 18/2009 धारा 136 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थितिः–

1. हरीदत्त शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. श्री उदयभान दीक्षित वकील रैस्पोडेन्टस।

निर्णय

दिनांकः– 18.7.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के निर्णय दिनांक 16.8.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पोडेन्टस ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया था कि साविक खसरा नम्बर 1928 रकबा 1 बीघा 8 विस्बा वाकै ग्राम ताखा तहसील कुम्हेर में स्थित है जिसका हाल ख0नं0 3629/0.07 भू प्रबन्ध विभाग ने बनाया है जो साबिक के मुकाबले 15 ऐयर रकबा कम दर्ज किया गया है। हाल आराजी खसरा नम्बर 3631/0.13 है को गलत रूप से अपीलान्ट के नाम हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया है जबकि उक्त साबिक खसरा नम्बर 1928 से ही बना है जैसाकि नकल मिलान क्षेत्रफल से प्रमाणित है। अतः खसरा नम्बर 3631 /0.13 है0 पर अपीलान्ट का नाम निरस्त कर सायलान की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.8.2011 पारित करते हुये रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि रैस्पोडेन्टस ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया था कि साविक खसरा नम्बर 1928 रकबा 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बीघा 8 विस्बा वाकै ग्राम ताखा तहसील कुम्हेर में स्थित है जिसका हाल ख0नं0 3629/0.07 भू प्रबन्ध विभाग ने बनाया है जो साबिक के मुकाबले 15 ऐयर रकबा कम दर्ज किया गया है। हाल आराजी खसरा नम्बर 3631/ 0.13 है को गलत रूप से अपीलान्ट के नाम हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया है जबकि उक्त साबिक खसरा नम्बर 1928 से ही बना है। अतः खसरा नम्बर 3631/ 0.13 है0 पर अपीलान्ट का नाम निरस्त कर सायलान की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे। जिसमें तहत अदालत ने विधि विरूद्ध बिना अपीलान्ट को सुने मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है । इस कार्यवाही में अपीलान्ट के ऊपर कभी तामील नहीं हुई। सारी कार्यवाही रैस्पोडेन्टस ने तामील कुनिन्दा से मिल कर फर्जी कराई है। रैस्पो0 ने तामील फर्जी करवाई है इस बाबत का पता इस बात से ही लग जाता है कि अपीलान्ट को जो दिनांक 7.8.2009 को नोटिस जारी हुये उस पर यह लिखा हुआ आया कि सुक्खी घर पर नहीं मिला खुले मकान पर चस्पा किया तथा दो गवाह रामवीर, वीरपालसिंह के हस्ताक्षर करवाये। उसके बाद पुनः दिनांक 28.1.2011 को नोटिस जारी किये गये जिनकी पुश्त पर लिखा है कि सुक्खी ने लेने से इन्कार किया प्रति उसके खुले मकान पर चस्पा किया । इस पर भी रामजीलाल गवाह के हस्ताक्षर है तथा गवाह विजयसिंह के हस्ताक्षर करना बताया। जबकि वास्तविकता यह है कि न तो अपीलान्ट को नोटिस प्राप्त हुआ और न ही अपीलान्ट ने नोटिस लेने से इन्कार किया है। यह कि अपीलान्ट अपीलान्ट साविक आराजी खसरा नम्बर 1928 मिन रकबा 1 बीघा 8 विस्बा का खातेदार काश्तकार रिकार्ड में है तथा खसरा मिलान में 1928 मिन रकबा 1 बीघा 8 विस्बा का नया नम्बर 3631 रकबा 13 ऐयर बनाया गया है जो हाल जमाबन्दी में भी अपीलान्ट के नाम दर्ज किया हुआ है। यह कि साविक खसरा नम्बर 1929 रकबा 13 विस्बा अपीलान्ट की खातेदारी में था जिसका हाल खसरा नम्बर 3630 रकबा 19 ऐयर का बनाया गया है जो नक्शा में आराजी मुतदाबिया 3631 के बगल में दिखाया गया है जिससे यह साबित होता है कि भू प्रबन्ध विभाग ने यह नम्बर अपीलान्ट की खातेदारी में सही दिया है। इसके अलावा रैस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट का नहीं है बल्कि रैस्पोडेन्ट ने इस प्रार्थना पत्र के जरिये यह मांग की है कि खसरा नम्बर 3631 रकबा 13 ऐयर पर अपीलान्ट का नाम निरस्त कर रैस्पो0 की खातेदारी में दर्ज किया जावे। इस प्रकार का आदेश केवल टीप दुरूस्ती के दावा में ही दिया जा सकता है न कि 136 एल आर एक्ट की कार्यवाही में नहीं दिया जा सकता इसलिऐ तहत अदालत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर यह अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिले मंसूखी है। वैसे भी 136 एल आर एक्ट मेन्टेबिल नहीं है । सैटिलमेन्ट के समाप्त हो जाने के बाद केवल दावा के जरिये ही दुरूस्ती हो सकती है। इसके अलावा हाल खसरा नम्बर 3631 रकबा 13 ऐयर अपीलान्ट के साविक खसरा नम्बर 1928 रकबा 1 बीघा 8 विस्बा से बना है। इस बात से सिद्ध होती है कि खसरा मिलान में जो नया नम्बर 3631 रकबा 13 ऐयर का बना है वह साविक नमबर 1928 कुल 1 बीघा 8 विस्बा से बना है जबकि रैस्पो0 का साविक खसरा नम्बर 1928 कुल 1 बीघा 7 विस्बा का है इससे यह सिद्ध होता है कि 13 ऐयर का जो नया नम्बर 3631 बना है वह अपीलान्ट का है न कि रैस्पो0 का रैस्पो0 को इस बारे में तुलनात्मक मिलान क्षेत्रफल में नम्बर देखना चाहिऐ तदोपरान्त दुरूस्ती दावा करना चाहिऐ। अपीलाधीन आदेश बेबुनियाद रिपोर्ट बिना मौका निरीक्षण किये अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया है जो काबले मंसूखी है। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया है

Web Copy - Not Official

इसलिऐ इस आदेश की अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी। दिनांक 26.9.2012 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी जरिये पटवारी अपीलान्ट को हुई। तत्काल नकल आवेदन कर दिनांक 27.9.2012 को नकल प्राप्त हुई । श्रीमान के समक्ष बाद कार्यवाही तारीख जानकारी से बिना देरी अपील पेश की गई है। देरी क्षमा योग्य है जिसके लिये पृथक से धारा–5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैरे अपील दिनांक 16.8.2011 न्यायालय उपखण्डाधिकारी कुम्हेर निरस्त फरमाया जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित वकील एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी कुम्हेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.8.2011 ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि इस संबध में तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई । तहसीलदार कुम्हेर के पत्रांक भू0अ0/09/300 दिनांक 28.1.2009 के जरिये तहत अदालत के समक्ष मौका निरीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें यह स्पष्ट किया है कि ग्राम ताखा मुताबिक जमाबन्दी 2063–2066 के खाता संख्या 643 से आ0ख0नं0 3631/0.13 पर सुक्खी पुत्र रनछोर कौम जाट साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वक्त बन्दोबस्त मुताबिक नकल मिलान क्षेत्रफल उक्त हाल खसरा नम्बर 3631/0.13 साविक खसरा नम्बर 1928 रकबा 1 बीघा 8 विस्बा से बना हुआ है। प्रार्थना पत्र में संलग्न प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2031–34 के खाता संख्या 208 से आ0ख0नं0 1928 मिन रकबा 1 बीघा 8 विस्बा पदमोला पुत्र अमरसिंह कौम जाट साकिन देह खातेदार दर्ज है। बाद बन्दोबस्त साबिक खसरा नम्बर 1928 मिन रकबा 1 बीघा 8 विस्बा से बने हाल खसरा नम्बर 3631/0.13 पदमोला मृतक के वारिस खातेदारान निरोत्तम, लक्ष्मनसिंह, श्यामवीरसिंह, प्रतापसिंह पिसरान पदमोला कौम जाट साकिन देह व हिस्सा बराबर खातेदार दर्ज होना चाहिऐ जो बाद बन्दोबस्त नहीं किया है और जमाबन्दी 2063–2066 के खाता संख्या 643 से सुक्खी पुत्र रनछोड कौम जाट साकिन देह खातेदार के नाम गलत दर्ज हो गया है। मौके पर भी रैस्पोडेन्टस निरोत्तम, लक्ष्मनसिंह, श्यामवीरसिंह, प्रतापसिंह, पिसरान पदमोला कौम जाट साकिन देह का ही आराजी खसरा नम्बर 3631/0.13 पर कब्जा काश्त है तथा पूर्व रिकार्ड के अनुसार उक्त हाल खसरा नमबर 3631/0.13 इन्हीं रैस्पोडेन्टस की खातेदारी की भूमि है। इस रिपोर्ट में तहसीलदार द्वारा स्पष्ट रूप से बाद जांच यह माना है कि जमाबन्दी 2063–2066 के खाता संख्या 643 से सुक्खी पुत्र रनछोड कौम जाट साकिन देह खातेदार के नाम गलत दर्ज हो गया है। इस रिपोर्ट को पटवारी एवं आईएलआर द्वारा मौका निरीक्षण कर तैयार किया गया है जिसके आधार पर बाद परीक्षण तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्यायसंगत है। अपीलान्ट का यह कहना कि मौका निरीक्षण नहीं किया सरासर गलत है ऐसा उसके पास कोई प्रमाण नहीं है बल्कि स्वयं पटवारी हल्का एवं आईएलआर ने यह रिपोर्ट मौका निरीक्षण करने के उपरान्त ही तैयार की है। मामला रकबा कमी–वेशी का ही है खातेदारी हक–हकूकों का नहीं है बल्कि गत के मुकाबले हाल रकबा पूर्ति किये जाने का है

जो 136 एल आर एक्ट के तहत बखूबी उपखण्डाधिकारी को अधिकार प्राप्त है। तहत अदालत ने अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रैस्पोडेन्ट के द्वारा प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई है तहसीलदार कुम्हेर से बकायदा मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई है उभयपक्षकारान की विधिवत सुनवाई की गई है अपीलान्ट तहत अदालत में स्वयं तामील से बचते रहे है। तहत अदालत ने गुणावगुण के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.8.2011 यथावत रखा जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत अपील अपीलान्टस द्वारा तहत अदालत के आदेश दिनांक 16.8.2011 अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके तहत उपखण्डाधिकारी कुम्हेर द्वारा न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति / मातहत अधिकारियों की मौका रिपोर्ट तलब करते हुये बाद परीक्षण रैस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र तहसीलदार कुम्हेर से तलब की गई रिपोर्ट दिनांक 28.1.2009 के आधार पर स्वीकार किया गया है। यह सही है कि 136 एल आर एक्ट की कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिंग है एवं इसके अंतर्गत ऐसा कोई निर्णय लिया जाना मुनासिब नहीं रहता है जिससे पक्षकारान के हक–हकूकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडे, किन्तु यह प्रकरण केवल रकबा कमी वेशी का ही है। केवल गत रिकार्ड के मुकाबले हाल रिकार्ड में रकबे की पूर्ति किये जाने का है जिसको दुरूस्त किये जाने का उपखण्डाधिकारी को बखूबी अधिकार प्राप्त है। इस संदर्भ में राजस्थान लैण्ड रैवेन्यु (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स की धारा 369 उपखण्डाधिकारी के कर्तव्यों को विस्तृत रूप से स्पष्ट करती है । राजस्थान लैण्ड रैवेन्यु (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स की धारा 369 में उपखण्डाधिकारी कलक्टर के नियन्त्रण के अधीन रहते हुये उपखण्ड के नक्शों तथा अभिलेखों को सही रूप में रखने की उसकी जिम्मेदारी में हाथ बंटाता है। उपखण्डाधिकारी भू अभिलेख अधिकारी भी है जिसके क्षेत्राधिकार में काश्तकारों के वास्तविक कब्जा एवं नक्शो राजस्व रिकार्ड इत्यादि का सही रख रखाब का भी दायित्व है। रैस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट के संदर्भ में तहत अदालत द्वारा

तलब की गई तहसीलदार कुम्हेर की रिपोर्ट दिनांक 28.1.2009 का अवलोकन किया गया। यह रिपोर्ट वकायदा मौका एवं रिकार्ड के अनुरूप ही तैयार होना जाहिर है तथा इस रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया है कि जमाबन्दी सम्वत 2031–34 के खाता संख्या 208 से आ0ख0नं0 1928 मिन रकबा 01 बीघा 8 विस्बा पदमोला पुत्र अमरसिंह कौम जाट साकिन देह खातेदार दर्ज है। बाद बन्दोबस्त साबिक खसरा नम्बर 1928 मिन रकबा 01 बीघा 8 विस्बा से बने हाल खसरा नम्बर 3631/0.13 पदमोला मृतक के वारिस रैस्पोडेन्टस व हिस्सा बराबर खातेदार दर्ज होना चाहिऐ जो बाद बन्दोबस्त नहीं किया है और जमाबन्दी 2063–2066 के खाता संख्या 643 से अपीलान्ट का नाम गलत दर्ज हो गया है। मौके पर भी रैस्पोडेन्टस का ही आराजी खसरा नम्बर 3631/0.13 पर कब्जा काश्त है तथा पूर्व रिकार्ड के अनुसार उक्त हाल खसरा नम्बर 3631/0.13 इन्हीं रैस्पोडेन्टस की खातेदारी की भूमि है। अपीलान्ट ने अपनी अपील में मुख्यतः सुनवाई एवं नोटिस तामील न होने के तथ्य पर ही विशेष जोर दिया है जबकि तहत पत्रावली में संलग्न सम्मनों पर तामीली रिपोर्ट विधिवत अंकित है। इसके अलावा अदालत हाजा में भी उन्हें समुचित सुनवाई का अवसर दिया गया है लेकिन यहां भी उनके द्वारा अपने कथनों की ताईद में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश मौके एवं रिकार्ड के अनुरूप होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी कुम्हेर का निर्णय दिनांक 16.8.2011 में कोई विधिक त्रृटी न पाये जाने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.7.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official